न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

रेफरेंश आवेदन संख्या 11/2011

प्रार्थी

टीला पुत्र सुरता जाति
पुरोहित निवासी बोथिया
तहसील बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अलसाराम पुत्र नवलाराम
2. वीराराम पुत्र नवलाराम
3. शंकरलाल पुत्र नवलाराम
4. जगदीश पुत्र नवलाराम
   जाति कुम्हार निवासी गांव
   रोहिली तहसील बाड़मेर

रेफरेंश आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्कारी अधिनियम विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.4.1966 बमुकदमा राजस्व वाद संख्या 188/64 नवला बनाम तहसीलदार बाड़मेर द्वारा सहायक कलक्टर, बाड़मेर

उपस्थित– 1. श्री राजेन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सुनील के.मैराजा अधिवक्ता विप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक 18.04.2017

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

1. संक्षेप में प्रार्थी के रेफरेंश आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बोथिया जागीर की भूमि खसरा नंबर 74 रकबा 186 बीघा 02 विस्वा भूमि विप्रार्थीगण के पिता नवला ने अपनी खुद काश्त होना बताते हुए एक राजस्व वाद धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर, बाड़मेर के न्यायालय में पेश किया। सहायक कलक्टर बाड़मेर ने राजस्व वाद संख्या 188/64 दर्ज कर, वादी का वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.4.1966 द्वारा स्वीकार किया। प्रार्थी का यह कथन हैं कि उक्त खसरो की भूमि पर सेटलमेंट से पूर्व वादी नवलाराम का कोई कब्जा काश्त नहीं था, जिसके कारण उसे खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। सहायक कलक्टर बाड़मेर ने राजस्व रेकर्ड एवं नियम विरूद्व तरीके से खसरा नंबर 74 की रकबा 186 बीघा 02 विस्वा भूमि निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.4.1966 द्वारा विप्रार्थी के पिता नवलाराम के नाम दर्ज करने के आदेश दिये है, जो विधि विरूद्व है। प्रार्थी ने

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह रेफरेंश आवेदन पत्र पेश कर राजस्व वाद संख्या 188/64 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.4.1966 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

2. हमने रेफरेंश आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं वाद पत्रावली तलब की।

3. तलबी पर विप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दिनांक 22.5.2012 को प्रारम्भिक आपत्ति एवं जवाब पेश किया।

4. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। प्रार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क हैं कि विप्रार्थी के पिता नवलाराम के नाम वर्ष 1964 मे ग्राम रोहिला कपूरडी एवं बोथिया जागीर में कुल 476.04 बीघा भूमि दर्ज थी। अपने नाम से अधिक भूमि होते हुए भी ग्राम बोथिया जागीर के खेत खसरा नंबर 74 रकबा 186 बीघा 02 बीघा अपने नाम से खातेदारी अधिकार प्राप्त किये। नामान्तरकरण संख्या 80 तहसीलदार बाड़मेर द्वारा स्वीकार नहीं किया गया एवं न ही ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया है। मूल नामान्तरकरण संख्या 80 फटा हुआ है। उन्होनें तर्क दिया कि राजस्व विभाग के निर्देशानुसार पैमाइश संवत् 2011–12 के बाद भी जिन लोगों का कब्जा हो उनका नाम गिरदावरी में संवत् 2020 तक अंकित किये जावें। संवत् 2020 से पूर्व खसरा नंबर 74 रकबा 186.02 बीघा पर विप्रार्थी के पिता नवलाराम का कब्जा काश्त होता तो गिरदावरी में नवलाराम का नाम अवश्य अंकित होता लेकिंन विप्रार्थी के पिता नवलाराम का कोई कब्जा काश्त नहीं था। वाद में काछबसिंह को जागीरदार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वह सही नहीं है, क्योंकि काछबसिंह की जागीरदारी होने का कोई दस्तावेज नकल खतौनी पत्रावली पर नहीं लिया गया है, काछबसिंह की जागीरी की भूमि नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने सरकारी पक्ष को साक्ष्य गवाह प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया तथा एक पक्षीय कार्यवाही कर विधि के स्थापित सिद्वान्तों के विपरित निर्णय पारित किया है। उन्होनें तर्क दिया कि रेफरेंश पेश करने की कोई समयावधि निर्धारित नहीं है। इसलिये रेफरेंश स्वीकार किया जाकर सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.04.1966 को निरस्त करवाया जावें।

5. इसके जवाब में विप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क हैं कि वक्त सेटलमेंट एवं जागीरी के समय से ग्राम बोथिया जागीर का खसरा नंबर 74 रकबा 186.02 बीघा विप्रार्थी के पिता नवलाराम के कब्जे काश्त की भूमि थी। बाड़मेर में पैमाइश संवत् 2010 से 2012 के मध्य में हुई यह पैमाइश नियमित नहीं थी बल्कि सरसरी तौर पर पैमाइश गई थी। बाड़मेर में सरसरी पैमाइश होने से काश्तकारों की कब्जा काश्त भूमि काश्तकारों के खातेदारी में अंकित नहीं हुई

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

थी एवं कब्जा काश्त भूमि भी राज्य सरकार के नाम बिला कब्जा अंकित कर दी गई। नवलाराम को ज्ञान होने पर सहायक कलक्टर बाड़मेर के न्यायालय में दावा पेश किया गया। सहायक कलकटर बाड़मेर ने बाद जांच शहादत–सबूत लेकर दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नंबर 74 रकबा 186.02 बीघा नवलाराम की खातेदारी में सही रूप से अंकित की, तब से लगातार 46 वर्षो से विप्रार्थी एवं उसका परिवार निर्बाध रूप से इस भूमि पर काबिज है। सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा विप्रार्थीगण के पिता नवला पुत्र सिदा द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद में वादी के पक्ष में निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.1966 पारित कर मौजा बोथिया जागीर के खसरा नंबर 74 की दखनाद तरफ की जमीन रकबा 32.18 बीघा व खसरा नंबर 74 की 186.02 बीघा भूमि वादी नवलाराम की खातेदारी की घोषित की, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 79 व 80 स्वीकृत किये गये व मूल नामान्तरकरण में सरंपच के हस्ताक्षर है। मोहर के स्थान का टुकड़ा फट अथवा फाड़ा हुआ है, नामान्तरकरण स्वीकृति के पश्चात तत्संबंधी जमाबंदी चौसाला संवत् 2022 से 2025 में विप्रार्थी के पिता नवलाराम का नाम दर्ज हुआ। उन्होनें यह भी तर्क दिया कि निर्णय व डिक्री पारित करने में सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा कोई अनियमितता अथवा अवैधानिकता कारित नहीं की गई है। नामान्तरकरण सक्षम अधिकारी द्वारा पारित हुआ है, वादी को खातेदारी अधिकार देने के संबंध में राजस्व रेकर्ड में कोई अनियमितता होना मानने पर भी डिक्री व निर्णय को निरस्त करने हेतु रेफरेंश करने का कोई औचित्य नहीं हैं क्योंकि रेफरेंश कुटरचित व अविधिक एवं फर्जी तरीके से प्राप्त निर्णय डिक्री के विरूद्व होता है, किसी सदभावी त्रुटि को आधार बनाकर रेफरेंश पेश नहीं किया जा सकता, प्रस्तुत रेफरेंश चलने योग्य नहीं है। उन्होनें तर्क दिया कि राजस्व वाद संख्या 188/64 में दिनांक 23.3.1965 को जो आदेशिका जारी की गई है उसमें फरीकेन नवला, कला, सोना ने आपस में रजामंद होकर राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया, का स्पष्ट उल्लेख है। साथ ही प्रमाण स्वरूप कालू, सोना के अंगुष्ठ निशान एवं पहिचानकर्ता के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट जाहिर होता हैं कि उक्त राजीनामा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पेश किया जिसे न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है, जिसे किसी भी आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र 46 वर्ष बाद पेश किया गया जो मेन्टेनेबल नहीं है। 46 वर्ष बाद प्रस्तुत रेफरेंश के अत्यधिक देरी से प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थी एवं उसके भाई बंशीराम द्वारा मौजा बोथिया जागीर के खसरा नंबर 270/743 की भूमि में गलत तरमीम पटवारी के साथ सांठ–गांठकर मुआवजा

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

राशि का भुगतान प्राप्त करने की शिकायत विप्रार्थी वीराराम द्वारा करने पर प्रार्थी ने द्वेश व ईर्श्यावश यह रेफरेंश पेश किया है, जो आधारही एवं सारहीन होने से खारिज किया जायें।

6. हमने दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया। वाद पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने यह रेफरेंश आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर, सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 188/64 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.4.1966 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। वाद पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता हैं कि वादी नवला ने अपने वाद पत्र में संवत् 2012 से आज तक कब्जा काश्त मुदई का होने, इस खेत में मुदई के रहवासी झूंफी, पानी की टांकली, गायों का बाड़ा तथा खेत मुदई ने इस ग्राम के जागीरदार काछबसिंह पुत्र भोपालसिंह से संवत् 2012 से लेना बताया है, इस पर सहायक कलक्टर बाड़मेर ने राजस्व वाद दर्ज कर, वादी, काछबसिंह व वादी के पड़ोस के बयान लिये, जिसमें इन गवाहान ने अपनी भूमि जागीर की होना और उसका पट्टा देना बताया है तथा गवाहान ने संवत् 2012 से कब्जा काश्त नवला का होना बताया है तथा खेत की हासिल जागीरदार काछबसिंह द्वारा लिया जाना बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध खेवट खतौनी अनुसार वादग्रस्त भूमि जागीरदार काछबसिंह के नाम दर्ज है तथा जमाबंदी खेत खतौनी संवत् 2022 से 2029 से कब्जा काश्त नवला का दर्ज है। सहायक कलक्टर बाड़मेर ने वाद के विचरण के दौरान शहादत–सबूत लेकर एवं गिरदावरी का अवलोकन कर, वक्त बंदोबस्त से लगातार वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 74 रकबा 186 बीघा 02 विस्वा पर वादी नवला का कब्जा काश्त मानते हुए राजस्व वाद संख्या 188/64 स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.8.1964 नवला के हक में जारी की गई है, जो सही प्रतीत होता है। सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्व यह रेफरेंश आवेदन पत्र 46 वर्ष बाद पेश किया गया है। हालांकि रेफरेंश पेश करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, मगर माननीय उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल द्वारा यह अवधारित किया जा चुका हैं कि ऐसे असाधारण विलम्ब में प्रस्तुत रेफरेंश मामलों में रेफरेंश आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाऐं। 1996 RRD पेज 170 में 25 वर्ष बाद प्रस्तुत रेफरेंश में शक्तियों का प्रयोग करना, आरबीट्रेरी, अनरीजनेबल एवं इलीगल माना गया है। इसी प्रकार RRD 1974 पेज 190 में यह व्यवस्था दी गई हैं कि केवल उन्ही विवादों में रेफरेंश करना चाहिये जिनमें राजकीय नीति की अवहेलना की गई हो, जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की भूमि स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर दी गई हो या मन्दिर की भूमियों के संबंध में वाद हो। RRD 1987 पेज 532 व RRD 1988 पेज 648 में यह प्रतिपादित किया गया हैं कि केवल राज्यहित अथवा सार्वजनिक हित

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

और लोक नीति के विरूद्व निर्णय डिक्री होने पर ही तृतीय पक्ष रेफरेंश आवेदन पत्र पेश कर सकता है और इस आदेश में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 या 42 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। DNJ (RAJ) 2005 (1) पेज 540 में यह बताया हैं कि रेफरेंश युक्तियुक्त अवधि में करना चाहिये, 18 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद शक्तियों का उपयोग न्याय संगत नहीं है। इसी प्रकार RRT 2005 (2) पेज 1032 में एक लम्बे समय से भूमि कब्जे मे रहने से रेफरेंश करने के वैध कारण नहीं है। ऐसी स्थिति में सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री आदेश रेफरेंश के माध्यम से 46 वर्ष बाद निरस्त कराया जाना, उपरोक्त न्याय दृष्टांतो में प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसरण में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस निर्णय एवं डिक्री को पारित हुए 46 वर्ष हो चुके है, प्रार्थी ने अब इतने लम्बे अरसे बाद यह रेफरेंश आवेदन पत्र पेश किया है, जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रार्थी पक्ष सहायक कलक्टर बाड़मेर के आदेश दिनांक 28.4.1966 में ऐसी कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता साबित नहीं कर सके है, जिसके कारण इस आदेश को अपास्त किया जा सकें।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का यह रेफरेंश आवेदन पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 18.04.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)